तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित :** श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक श्री योगेन्द्रसिंह अभिभाषक, रेस्पोडेंटस **आदेश** यह अपील राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर,(प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 11–10–2000 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अपीलांट सरकार द्वारा प्रस्तुत इस अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर ने खातेदार रेस्पोडेंट के पिता हुक्मसिंह एसेसी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं प्रारम्भ करते हुये अपने आदेश दिनांक 15–5–74 के द्वारा खातेदार के पास सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानते हुये सीलिंग कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश पारित किये। राज्य सरकार ने नये सीलिंग कानून के तहत धारा 15(1) से प्रकरण अपने आदेश दिनांक 12–2–81 व 30–1–81 द्वारा सीलिंग कार्यवाहीं को पुनः रिओपन करने का आदेश प्रदान करते हुये प्रकरण को पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर को प्रेषित किया। जिस पर अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) ने अपने आदेश दिनांक 2–5–85 द्वारा रेस्पोडेंट के पास सीलिंग सीमा से 42.05 बीधा भूमि अधिक होना मानते हुये अधिग्रहण करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व मंडल में अपील प्रस्तुत की गई। जिसे राजस्व मंडल ने स्वीकार करते हुये प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर को प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त प्रतिप्रेषित निर्णय की पालना में अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 11–10–2000 द्वारा रेस्पोडेंट के पास सीलिंग सीमा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	से अधिक भूमि नहीं होना पाते हुये सीलिंग कार्यवाहीं को समाप्त करने के आदेश प्रदान किये। अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर के उक्त निर्णय के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर का निर्णय न्याय, नियम व रिकोर्ड के विपरीत है। निर्धारित तिथि को हुक्मसिंह के पास 88.13 बीधा भूमि थी और वह मात्र 46.08 बीघा भूमि अपने पास रखने का अधिकारी था। किंतु अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक हुक्मसिंह के 7 पुत्रों को बालिग मानते हुये 8 युनिट तक भूमि रखने का अधिकारी मानते हुये सीलिंग कार्यवाहीं विधि विरूद्ध समाप्त की है। निर्धारिति हुक्मसिंह के परिवार में 5 से ज्यादा सदस्य नहीं थे तथा अलग अलग भूमि धारण करते थे। इसलिये उन्हें अलग से युनिट देने का कोई औचित्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्मसिंह के बालिग पुत्रों को अलग से युनिट देकर गलत तरीके से सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बिना किसी प्रकार की जांच के आराजी की सिंचाई धनत्व 53, 54 प्रतिशत मानकर निर्णय पारित किया है। धारा 4(1) के द्वितीय परंतुक के अनुसार पुराने सीलिंग कानून के तहत उन्हें दिनांक 1–4–66 की भूमि की व परिवार की स्थिति राजस्व अभिलेखों के आधार पर व परिवार के सदस्यों की संख्या बाबत् जांच कर आदेश पारित करना चाहिये था किंतु उन्होंने बिना जांच किये उक्त तिथि को परिवार में 9 सदस्य मानकर गलत आदेश पारित किये है। तहसील रिपोर्ट दिनांक 20–6–81 से पूर्णतया स्पष्ट है कि मृतक हुक्मसिंह को दिनांक 23–12–59 को चक 28 जीबी में 28.10 बीधा भूमि नहरी तबादले में मिली थी, जिसकी कोई विस्तृत जांच नहीं की गई। मृतक हुक्मसिंह द्वारा अपने पुत्रों के पक्ष में जो तमलीकनामा दिनांक 15–6–71 व 17–3–71 किये	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	थे। उक्त हस्तांतरण धारा 6 नये सीलिंग कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से मान्यता दिये जाने योग्य नहीं थे। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का बहस में कथन है कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। हुक्मसिंह के परिवार में 7 पुत्र बालिग होकर कुल 9 युनिट थी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने हुक्मसिंह के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानते हुये उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाहीं समाप्त की है। अतः अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। हुक्मसिंह एसेसी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं प्रारम्भ होने पर दिनांक 15–5–74 के द्वारा खातेदार के पास सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानते हुये सीलिंग कार्यवाही समाप्त की गई। राज्य सरकार ने नये सीलिंग कानून के तहत धारा 15(1) से सीलिंग कार्यवाहीं को पुनः रिओपन करने का आदेश प्रदान करते हुये प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर को प्रेषित किया। अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) ने अपने आदेश दिनांक 2–5–85 द्वारा रेस्पोडेंट के पास सीलिंग सीमा से 42.05 बीधा भूमि अधिक होना मानते हुये अधिग्रहण करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध राजस्व मंडल में प्रस्तुत अपील मंडल ने स्वीकार करते हुये प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर को प्रतिप्रेषित कर दिया। राजस्व मंडल के उक्त प्रतिप्रेषित निर्णय की पालना में अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर ने रेस्पोडेंट के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानते हुये सीलिंग कार्यवाही समाप्त की है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त करते समय सीलिंग प्रकरण में निर्धारित तिथि को हुक्मसिंह के परिवार में बालिग सदस्यों की संख्या की गणना का समुचित दस्तावेजी आधार स्पष्ट नहीं किया है। हुक्मसिंह के परिवार द्वारा धारित की जाने वाली भूमि शामिल में संयुक्त रूपसे धारण की जा रही थी या कौनसे सदस्य अलग अलग कितनी भूमि धारित करते थे। इस बिन्दु पर भी समुचित साक्ष्य एंव प्रमाण अपेक्षित है, जिसके आधार पर ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना/न होना के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सबंधित आराजी के कमाण्ड एरिया में सिंचाई धनत्व (प्रतिशत) का निर्धारण भी बिना किसी समुचित जांच या आधार पर किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि की सिंचाई सघनता की अधिकृत जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार धारण भूमि की किस्म को निम्नतर से उच्च श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तित करते हुये नियम अनुसार गणना करनी चाहिये थी, जिसका अति0 जिला कलेक्टर के निर्णय में अभाव है मृतक हुक्मसिंह को दिनांक 23–12–59 को चक 28 जीबी में 28.10 बीधा नहरी भूमि तबादले में मिली थी, उक्त सबंध में भी आवश्यक विस्तृत जांच व परीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया गया, जो पूर्णतः अपेक्षित है। ऐसी स्थिति उपरोक्त आलोक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय को विधि संगत नहीं ठहराया जा सकता। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा सीलिंग प्रकरण संख्या 2/88 में पारित निर्णय दिनांक 11–10–200 को अपास्त करते हुये प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्यक्त अभिमत अनुसार प्रकरण की पुनः जांच करके निर्धारिति मृतक हुक्मसिंह के तत्समय बालिग पुत्रों व भूमि सबंधी गणना करते हुये उभय पक्ष को सुनकर विधिक प्रावधानोंनुसार विधिसंगत नवीनतः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	